दस रुपये सत्यमेव जयते दस रुपये सत्यमेव जयते TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, केम्प-भोपाल म.प्र.

निगरानी 2118-PBR-15 राजस्व निगरानी क्र. ----------/15

1- महाराज सिंह आ. वलीराम, उम्र 33 वर्ष
2- गोविन्द नारायण आ. वलीराम उम्र 38 वर्ष,
3- विनोद कुमार आ. वलीराम उम्र 25 वर्ष,
4- राजेश कुमार आ. वलीराम उम्र 23 वर्ष
5- रूप सिंह आ. वलीराम, उम्र 20 वर्ष,
6- श्रीमति सुशीला बाई बेवा वलीराम उम्र 56 वर्ष
7- मुन्नीबाई पुत्री वलीराम आयु 28 वर्ष
8- तखत सिंह आ. भंवरजी उम्र 50 वर्ष
सभी निवासी- ग्राम पिपलिया धाकड,
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र. .... निगरानीकर्तागण

श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 2-7-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
2-7-15

विरूद्ध

1- अभय कुमार आ. श्री केदारनाथ अग्रवाल,
आयु 57 वर्ष

2- राजेश कुमार आ. श्री हरिशंकर अग्रवाल,
आयु लगभग 50 वर्ष
दोनों निवासी- जनकपुरी, जुमेराती, भोपाल

4-7-15

3- म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
जिला रायसेन म.प्र. ..... उत्तरदातागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू- राजस्व संहिता

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ-70/12-13 (अभय कुमार व अन्य विरूद्ध वलीराम मृत व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.05.2015 से दुखी व असंतुष्ट होकर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है :-

निरन्तर------2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2118–तीन / 15 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
30–7–2015	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया व तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–05–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के समक्ष आवेदक ने धारा 250 की कार्यवाही स्थगित करने का आवेदन म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसको इस निष्कर्ष के साथ तहसीलदार ने निरस्त किया है कि व्यवहार न्यायालय में संविदा के अनुपालन हेतु वाद विचाराधीन है और व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया है तथा वैध आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं पाया। स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आवेदक का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। फलस्वरूप यह निगरानी बलहीन एवं आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	